FORM No. III

APP-A
cnm-I

फर्द अहकाम 2022/37

(नियम 26)

अज अदालत - राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर मुकाम - सवाई माधोपुर

[illegible] आदि बनाम [illegible] आदि

किस्म मुकदमा [illegible] मुकदमा नं. 50/22/

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/11 [illegible]	अपीलांट अधिवक्ता उपस्थित। अपील बाद जाँच रिपोर्ट होकर पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर हो। तहत न्यायालय का रिकार्ड तलब हो। अपीलांट अधिवक्ता को अपील के एडमिशन पर सुना गया। अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किये जाने से पूर्व रेस्पो0 संख्या 3 व 14 फौत हो चुके थे। उनके विधिक वारिसान को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना रिकार्ड पर लिये ही निर्णय पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र पटवारी हल्का से प्राप्त तकासमा स्कीम को आधार बनाकर ही निर्णय पारित किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा तैयार तकासमा स्कीम पर केवल मात्र वादीगण की उपस्थिति मे तैयार की गई है जिसमे प्रतिवादीगण की और से किसी के हस्ताक्षर नही है जबकि अपने निर्णय मे अधिनस्थ न्यायालय ने अंकित किया है कि उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तकासमा स्कीम का अवलोकन किया। प्राप्त तकासमा स्कीम मे किसी को कोई आपत्ति नही है। उसी अनुसार हाल नक्शा ट्रेस मे हरे रंग से वादीगण की भूमि तथा पीले रंग से प्रतिवादीगण की भूमि का अंकन किये जाने के आदेश पारित किये गये है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे अंकित किया है कि विभाजन स्कीम पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर होने से उभयपक्षो की उपस्थिति मे विभाजन स्कीम तैयार किया जाना पाया गया है। जबकि पत्रावली मे संलग्न विभाजन स्कीम के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभाजन स्कीम पर केवल मात्र वादीगण के हस्ताक्षर है प्रतिवादीगण की और से किसी के हस्ताक्षर नही है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय मे विरोधाभाष प्रकट होता है। अधिनस्थ न्यायालय को निर्णय विधि के विरूद्ध जाकर पारित किया	

Scanned with CamScanner

उनवान.....बनाम.....

रीख वम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर द अहकाम हुक्म की जारी

जाना पाया गया है। अतः प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्याय संगत है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के मु0न0 21/12 निर्णय व डिक्री दिनांक 11.02.2020 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे उभयपक्ष को विधिवत रूप से नोटिस जारी कर उभयपक्ष की मौजूदगी मे स्वयं तहसीलदार मौके पर जाकर तकासमा स्कीम तैयार कराई जाकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के यहाँ दिनांक 16.08.2022 को उपस्थित होवे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner